

बिहार सरकार
कृषि विभाग।

पत्र सं०-11/कृ.नि.भू.सं.(यो.)33/2014-240(डीपटन)/कृ.,पटना, दिनांक/१-०२-१०/१५

प्रेषक,

रामजी सिंह (बि.प्र.से.)
संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

उप निदेशक (शष्प),
भूमि संरक्षण, मुख्यालय,
बिहार, पटना।

विषय : वर्ष 2013-14 में भूमि संरक्षण के लिए संपादित किए गये पौधा-रोपन कार्यक्रम तथा जी.आई.एस. प्रयोगशाला की स्थापना के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य योजनान्तर्गत 141.76 लाख रुपये (एक करोड़ एकतालीस लाख छिहत्तर हजार रुपये) की स्वीकृत योजना के अधीन अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए निकासी एवं व्यय हेतु स्वीकृत राशि 1.417 (एक लाख एकतालीस हजार सात सौ) रुपये का बजट आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए व्यय हेतु स्वीकृत राशि 1.417 (एक लाख एकतालीस हजार सात सौ) लाख रुपये को आवंटित किया जाता है।

2. यह आवंटन कृषि विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या 831 दिनांक 10.02.2015 के आलोक में दिया जा रहा है। स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाए।

3. उक्त आवंटित राशि 1.417 लाख रु० का व्यय बजट शीर्ष 2402 मृदा तथा जल संरक्षण, उपमुख्य शीर्ष- 00, लघु शीर्ष- 796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग संख्या- 1, उपशीर्ष- 0108 भूमि संरक्षण कार्य, विपत्र कोड- पी2402007960108, विषय शीर्ष- 31 06 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा, राज्य योजना स्कीम कोड- AGR 5038, वर्ष 2014-15 में उपबंधित 38.40 लाख रु० से विकलनीय होगा।

4. राशि की निकासी बी०टी०सी०-42 पर बिहार वाटर शेड डवलपमेंट सोसाईटी से प्राप्त पूर्व प्राप्ति रसीद के अनुसार की जायेगी। आवंटित राशि बिहार वाटरशेड डवलपमेंट सोसाईटी को अनुदान के रूप में दी जायेगी।

5. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक 2561 वि.(2) दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक 6720 वि.(2) दिनांक 25.07.2014 के आलोक में दी जा रही है।

कृ.पू.उ.

6. आवंटन से अधिक राशि की निकासी किसी भी स्थिति में नहीं की जाए। इसके निमित्त सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही निर्धारित की जाती है।

7. व्यय के पश्चात अविलम्ब टी0भी0 नम्बर के साथ व्यय विवरणी उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन

(15) 18/02/15

(रामजी सिंह)

संयुक्त सचिव, कृषि विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 240(आवंटन) भूमि संरक्षण पटना दिनांक 13-02-10/5

प्रति :- 1. महालेखाकार बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कोषागार पदाधिकारी सचिवालय कोषागार विकास भवन पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(15) 18/02/15

संयुक्त सचिव, कृषि विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 240(आवंटन)

भूमि संरक्षण पटना दिनांक 13-02-10/5

प्रति :- 1. विकास आयुक्त, बिहार -सह- अध्यक्ष, BWDS के प्रधान आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार सह उपाध्यक्ष, BWDS के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि विभाग के निजी सहायक/वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना/सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना/सम्बंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सम्बंधित जिलाधिकारी/कृषि निदेशक, बिहार पटना/निदेशक उधान, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2. मुख्य कार्यापालक पदाधिकारी, BWDS/निदेशक भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक पी0पी0एम0/संयुक्त कृषि निदेशक (योजना), बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण, दक्षिणी बिहार परिक्रम, पटना/सभी जिला स्तरीय उप निदेशक (कृषि अभि.) भूमि संरक्षण एवं सहायक निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण/प्रभारी बजट पदाधिकारी, कृषि विभाग एवं भूमि संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना/प्रभारी वित्त -सह-लेखा BWDS एवं लेखा शाखा भूमि संरक्षण निदेशालय, मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3. उप कृषि निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना एवं आई.टी. मैनेजर कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(15) 18/02/15

संयुक्त सचिव, कृषि विभाग
बिहार, पटना।

Type by

16/04/15